न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/139/2022	2022/439	10.10.2022	12.05.2025

1. करणसिंह पुत्र श्री दाताराम गुर्जर निवासी ग्राम टीकरी उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत टीकरी, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

—रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 15.07.2022

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 15.07.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1561/2012, पॉस मशीन कोड सं 24843 को निरस्त करने के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागयी पैरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा एकतरफा में दिनांक 15.07.2022 को प्रकरण बअनुवान सरकार बनाम करणसिंह में यह निर्णय पारित किया है कि "अप्रार्थी करणसिंह, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत टीकरी 1/2 भाग, पॉस मशीन कोड़ 24843, तहसील कठूमर का प्राधिकार पत्र संख्या 1561/2012 (समस्त देनदारियों को लंबित रखते हुए) निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाती है। जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमानं के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार श्रीमान को आयद है। जिस कारण अपील श्रीमान के श्रवणाधिकार के क्षेत्राधिकार में है। कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के एकपक्षीय निर्णय दिनांक 15.07.2022 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 31.08.2022 को हुई, जिस पर नकल वास्ते अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 31.08.2022 को ही विधिवत आवेदन किया गया जिस पर दिनांक 31.08.2022 को आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है, जिसके उपरान्त अपील बाबत विधिक सलाह प्राप्त की गई, खर्चा अपील की व्यवस्था की गई। अपीलान्ट कि जिसकी रीढ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है जिसके चलते अपीलान्ट बिना किसी सहारे के चलने फिरने में असमर्थ है जिस कारण से अपील हाजा पेश करने में हुए विलम्ब कण्डोन फरमाए जाने योग्य है। रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

जांच रिपोर्ट दिनांक 06.12.2021 कि जिसके आधार पर 'आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, वो अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में की गई है। तत्समय अपीलान्ट बीमार था, चिकित्सक को दिखाने के लिए नगर गया हुआ था, जिस आधार पर आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। दिनांक 06.12.2021 को जब अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की कोई जांच ही नहीं हुई, प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा दुकान बंद होने की रपोर्ट मातहत अधिकारी के समक्ष पेश की गई, जिसके बावजूद मातहत अधिकारी के द्वारा एकपक्षीय रूप में मिन अपीलांन्ट की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं. 1561/2012 एकतरफा आदेश दिनांक 06.12.2021 पारित करते हुए निलंबित कर दिया गया था, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मातहत अधिकारी द्वारा एकतरफा में अपीलान्ट की उचित मूल्यु दुकान की बाबत जारी निलबंन आदेश दिनांक 06.12.2021 की बाबत मिन अपीलान्ट के द्वारा एक रिट पिटीशन सं. 8640/2022 बअनुवान करणसिंह बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के यहां पेश की गई जिसमें दिनांक 27.08.2022 को खण्डपीठ जयपुर द्वारा आदेश पारित कर निलंबित आदेश स्थगित कर अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई चालू करने के आदेश दिये गये थे, जो आदेश निम्न है "In view thereof, the petitioner shall appear before the respondent No. 3 with a copy of this order. The respondent No. 3 is expected to restore the supply of controlled articles immediately to the petitioner or to file his affidavit on the next date assigning reasons for non-supply." आदेश की प्रति संलग्न है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2022 वर्तमान में प्रभावी है, जिसकी बखूबी जानकारी मातहत अधिकारी को रही है, इसके बावजूद आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट को जांच रिपोर्ट की सूचना होने पर मिन अपीलान्ट घर पहुंचा और दिनाक 07.12.2021 को जांच के लिए प्रवर्तन निरीक्षक की मांगानुसार उन्हें पोस मशीन, चार्जर व रिकार्ड उपलब्ध करा दिया गया, तत्समय प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अपीलान्ट के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये थे, जिसके उपरान्त एकतरफा में गलत रिपोर्ट मातहत अधिकारी के समक्ष पेश कर दी, जिस पर मातहत अदालत ने एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। शिकायतकर्ता का भाई स्थानीय विधायक का गनमैन है, जिसके दबाव के चलते प्रवर्तन निरीक्षक ने मनमानी व गलत रिपोर्ट मिन अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की बाबत तैयार की जाकर मातहत अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.12.2021 को पेश की गई, जिस पर मातहत अधिकारी ने दिनांक 06.12.2021 को ही एकतरफा में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं. 1561/2012 निलंबित कियां गया था, जिस आदेश की बाबत मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश की गई रिट पिटीशन में उक्त आदेश निरस्त किया जा चुका है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा मातहत अधिकारी के अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकन के प्राधिकार पत्र के निलबंन आदेश दिनांक 06.12.2021 को आदेश दिनांक 27.08.2022 पारित करते हुए निरस्त फरमाया जा चुका है, उसके बावजूद दिनांक 06.12.2021 की जांच रिपोर्ट एवं निलबंन के आधार पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 15.07.2022 को निरस्त किया गया है, वो निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2022 में जो आरोप पत्र वर्णित किये गये थे, वो केवल मात्र प्रकरण बनाने की मंशा से राजनैतिक दबाव के चलते लगाए गए थे, जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पोस मशीन के जरिये बॉयोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर उपभोक्ताओं को किया जाता है, अपीलान्ट के द्वारा कोई फर्जी ट्रांजेक्शन व गबन नहीं किया गया है, जो तथ्य काबिल गौर श्रीमान है एवं स्वीकार किये जाने अपील हाजा है। प्राकृतिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। परन्तु मातहत अधिकारी के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.7.2022 एकपक्षीय रूप में अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है, जो कि अपास्त फरमाए जाने योग्य है।

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश, क्रमांक एफ. 13 (49)खा.वि./आवंटन/2015–II जयपुर दिनांक 24.03.2017 में क्रम सं. 1 पर दर्ज किया गया है कि 'विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के बिन्दु संख्यां 1 की प्रक्रिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री POS का का उपयोग कर ही भामाशाह/आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी।' उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मीटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ता को पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है। अपीलान्ट जो कि रीढ की हडडी की बीमारी के चलते अस्वस्थ चल रहा है, जिसका ईलाज एम्स दिल्ली में करवाया गया एवं वर्तमान में ईलाज महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर से चल रहा है, जहाँ पर अपीलान्ट की रीढ की हडडी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

का ऑपरेशन दिनांक 16.05.2022 से 21.05.2022 तक भर्ती रहकर हुआ है, जिसके चलते अपीलान्ट वर्तमान में भी बिना किसी सहारे के चलने फिरने में सक्षम नहीं है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पंचायत की खाद्य सुरक्षा लिस्ट अनुसार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया है, इसी प्रकार के आदेश जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहाँ से जारी हुए थे। मिन अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है, जो भी वितरण किया गया है वो पोस मशीन के जरिये उपभोक्ता के फिंगर प्रिन्ट के जरिये किया गया है। पोस मशीन द्वारा वितरण सामग्री आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विसंगता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ता को पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है। अपीलान्ट वर्ष 2012 से यानि पिछले करीब 10 वर्षों से उचित 'मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बननें वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण बअनुवान सरकार बनाम करणसिंह में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट (प्रास कोड 24843) का प्राधिकार पत्र सं. 1561/2012 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1561/2012 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग, ग्राम पंचायत टीकरी, तहसील कठूमर, अलवर (राज०) की राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें। अपी0 अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में H.C. Order dared 21.02.2022, RLW 2009(4) SC Page 509, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 24.03.2017 व दिनांक 18.10.2017, Food Act Page 230 CI.5 sec 8 नजीरें पेश की हैं।

विभागीय पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जाँच दल द्वारा दिनांक 06.12.2021 को उक्त उचित मूल्य दुकानदार का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान बन्द पाई गई। उचित मूल्य दुकानदार को बुलाकर दुकान खुलवाई गई। दुकान का भौतिक सत्यापन किये जाने पर दुकान में उपलबध सामग्री का स्टॉक शून्य पाया गया तथा पोस मशीन चार्ज नहीं होने पर सामग्री का पता नहीं लग सका। बिल नम्बर 817 दिनांक 28.11.2021 के अनुसार 3745 किलोग्राम गेहूँ की आमाद हुई थी। उचित मूल्य दुकानदार ने दिनांक 07.12.2021 को उपस्थित होकर पोस मशीन संख्या 24843 प्रस्तुत की गई। जिसमें चावल 352 किलोग्राम, चना 558 किलोग्राम, गेहूँ 450 किलोग्राम महिला एव बाल विकास विभाग एवं गेहूँ 10677 किलोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना तथा गेहूँ 17797.4 किलोग्राम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ पोस मशीन में दर्ज मिला। परन्तु मौके पर उपरोक्त स्टॉक शून्य पाया गया। उक्त दोनो योजनाओं का कुल 28474.4 किलोग्राम गेहूँ का उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुरूपयोग किया गया हैं। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग, ग्राम पंचायत टीकरी, तहसील कठूमर, के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17 (सी) एवं 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2015 के प्रावधानों का उल्लघन किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर की जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 15.07.2022 के विरूद्ध दिनांक 06.10.2022 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 06.12.2021 को निलम्बित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 196/2021 तारीख रज्जू 30.11.2021 प्रकरण संख्या 111/2021 तारीख रज्जू 28.06.2021 एवं प्रकरण संख्या 61/2021 तारीख रज्जू 28.05.2020 को एक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

साथ हम किता करते हुए दिनांक 15.07.2022 को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत टीकरी 1/2 भाग पोस मशीन कोड संख्या 24843 तहसील कठूमर जिला अलवर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1561/2012 को समस्त देनदारीयाँ लम्बित रखते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार कठूमर ने दिनांक 02.02.2022 को करण सिंह डीलर के मकान पर खुले आम चस्पा की रिपोर्ट की गई एवं एक नोटिस की प्रति व्हाट्सएप पर भेजी गई। उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित नहीं हुआ। नोटिस जवाब पेश नहीं किया गया। उक्त तीनों प्रकरणों को लेकर दिनांक 15.07.2022 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि तत्समय बीमार होने के कारण महात्मा गाँधी मैडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल में भर्ती होने के कारण जवाब पेश नहीं किये गये। जिसके दस्तावेज संलग्न पत्रावली हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को प्राधिकार पत्र निलम्बन दिनांक 06.12.2021 से 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट डीलर द्वारा आरोपों की पुष्टि में बीमार होने के दस्तावेज पेश किये गये हैं। "खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2017 से यह स्पष्ट हैं कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 के अन्तर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या उनके प्रत्याशा में ऐसे प्रकरणों में खण्ड 8(ा) के अन्तर्गत अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा। परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र निलम्बन की अन्तिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया, तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा"। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निर्धारित अवधि 90 दिवस में बहाल नहीं करते हुए विधि प्रक्रिया उल्लंघन किया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8640/22 बउनवान करणसिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 27.08.2022 को आदेश पारित किया गया, कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर संख्या 03 से अपेक्षा की जाती हैं, कि याचिकाकर्त्ता की नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति तुरन्त बहाल करें या अगली तारीख को आपूर्ति न करने के कारण बताते हुए अपना हलफनामा पेश करें।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आदिनांक तक बहाल करने एवं न्यायालय में हलफनामा पेश करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में नहीं किया जाने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 15.07.2022 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट करणसिंह पुत्र दाताराम गुर्जर निवासी टीकरी उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत टीकरी तहसील कठूमर जिला अलवर का प्राधिकार पत्र संख्या 1561/2022 बहाल करते हुए राशन सामग्री उठाव एवं वितरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता हैं कि बकाया राशन सामग्री को आगामी माह में वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। जिसकी समुचित निगरानी जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा की जावेंगी। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)